न्यायालय उपखंड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण

मुकदमा नम्बर 218/2020 *उनवान रामदेव बनाम मैना*

रामदेव पुत्र छीतर कौम जाट निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अरांई जिला अजमेर राज. व अन्य।
–प्रार्थीगण

बनाम

मैना पत्नी किशोर कौम हरिजन निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अरांई जिला अजमेर राज. व अन्य।
– अप्रार्थीगण

<u>निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955</u>

निर्णय दिनांक 19.07.2024

उपस्थितः– वकील प्रार्थी दौराने बहस

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. 1955 के तहत वकील प्रार्थी श्री विजेन्द्र सिंह के द्वारा पेश किया गया जिसे दिनांक 20.07.2018 को जांच रिपोर्ट के बाद दर्ज रजिस्टर क्रमांक 236/2018 पर दर्ज किया गया। पत्रावली नवसृजित उपखण्ड अरांई में स्थानान्तरण से प्राप्त होने से पत्रावली को नवीन दर्ज नम्बर 218/2020 पर दर्ज किया गया। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण ने एक वाद पत्र न्यायालय के समक्ष धारा 188 राज.का.अधि. के तहत पेश किया गया है तथा उसी के अनुक्रम में यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है यह है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ग्राम गोठियाना तहसील अरांई में स्थित है जिसके खाता संख्या 446 के खसरा संख्या 137 रकबा 01 बीघा 15 बीस्वा स्थित है। अप्रार्थीगणों का उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है फिर भी अप्रार्थी संख्या 01 से 03 उक्त भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करना चाहतें हैं अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को वादअधीन भूमि पर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में अतिचार अतिक्रमण नहीं करें ताथा काबिज काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं

दिनांक 20.07.2018 को प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर प्रकरण को दर्ज करने के बाद अप्रार्थीगणों की तलबी की गई। दिनांक 18.09.2018 अप्रार्थी सं. 01 से 03 की ओर से वकील चालक सिंह उपस्थित हुये तथा जवाब पेश किया जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया गया कि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के रिहायशी मकान ग्राम पंचायत गोठियाना की आबादी भूमि खसरा संख्या 138 जो गोठियाना से सापून्दा

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.16 12:10:30 IST
Reason: SelfAttested

सड़क पर स्थित है, उसमें अप्रार्थीगण मकान बनाकर निवास कर रहें हैं, उनके द्वारा प्रार्थीगण की भूमि में किसी प्रकार के कब्जे का कोई प्रयास नहीं किया गया। दिनांक 05.07.2024 तक लगातार अनुपस्थित रहने से दिनांक 05.07.2024 को वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा दस्तावेज का अवलोकन किया गया। दस्तावेज के अवलोकन से ताईद है कि उक्त भूमि खसरा संख्या 137 रकबा 1 बीघा 15 बीस्वा गै.मु. पाल स्थित है जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि आराजी है। हमारे द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं का विवेचन किया गयाः—

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण— प्रार्थीगण वादअधीन भूमि के खातेदार है तथा अप्रार्थीगणों का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है।
2. सुविधा का संतुलन— प्रार्थीगण वादअधीन भूमि के रिकार्डेड खातेदार है यदि उक्त भूमि पर अतिक्रमण होगा तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी। उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है।
3. अपूरणिय क्षति— प्रार्थीगण वादअधीन भूमि के रिकार्डेड खातेदार है यदि उक्त भूमि पर अतिक्रमण होगा तो प्रार्थीगण को अपूरणिय क्षति होगी। उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है।
4. उपर्युक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचन के उपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का.अधि. 1955 स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगणों को वाद के गुणावगुण के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम गोठियाना तहसील अरांई में स्थित कृषि भूमि खसरा सख्या 137 में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे ।

आदेश आज दिनांक 19.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.16 12:10:30 IST
Reason: SelfAttested